

निदेशालय ग्रामीण विकास, हरियाणा, चण्डीगढ़

आदेश

मामले में विभाग ने विचारोपरान्त श्री रणजीत सिंह, सहायक परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, फतेहाबाद को 55 वर्ष की आयु उपरान्त सेवा में बनाये रखने का निर्णय लिया है ।

चण्डीगढ़, दिनांक  
5.8.2015


चन्द्र शेखर  
निदेशक एवं विशेष सचिव  
ग्रामीण विकास विभाग  
हरियाणा, चण्डीगढ़

पृ० क्र० स्था-1-2015/4015

चण्डीगढ़, दिनांक 7-8-2015

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

1. अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, फतेहाबाद ।
2. निजी सचिव/निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
3. सिस्टम ऐनालिस्ट, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ को वैबसाइट पर चढ़ाने बारे ।

  
परियोजना अधिकारी  
कृते: निदेशक एवं विशेष सचिव,  
ग्रामीण विकास विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।